

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

बेसिक शिक्षा अनुभाग-5

विषय: प्रदेश के समस्त परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में गठित विद्यालय प्रबन्ध समिति की मासिक बैठक का दिन निर्धारित किये जाने के संबंध में।


लखनऊ: दिनांक: 09 सितम्बर, 2019

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा-21 एवं उ०प्र० निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के नियम-13 के अन्तर्गत विद्यालय प्रबन्ध समिति के गठन हेतु शासनादेश संख्या-1349/68-5-2016-29/2009टी.सी., दिनांक 31 अगस्त, 2018 निर्गत किया गया है। उक्त शासनादेश के क्रम में आपके जनपद द्वारा विद्यालय प्रबन्ध समितियों का गठन किया गया है तथा उनके द्वारा अपने कार्य एवं दायित्व का निर्वहन किया जा रहा है। शासन के संज्ञान में आया है कि विद्यालय प्रबन्ध समिति की बैठक पृथक-पृथक तिथियों में आहूत की जा रही है तथा समिति की नियमित बैठकें सम्पन्न नहीं की जा रही है। विद्यालयों द्वारा विद्यालय प्रबन्ध समिति के सदस्यों को बैठक की पूर्व सूचना अप्राप्त होने के कारण सभी सदस्यों की बैठक में उपस्थिति सुनिश्चित नहीं हो पा रही है।


2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विद्यालय प्रबन्ध समिति की नियमित मासिक बैठक प्रत्येक माह के प्रथम बुद्धवार को आहूत की जाय। यदि प्रथम बुद्धवार को सार्वजनिक अवकाश है तो बैठक अगले कार्यदिवस में आहूत की जायेगी। विद्यालय प्रबन्ध समिति की बैठक में जिला परियोजना कार्यालय के समस्त अधिकारी जिला समन्वयक, खण्ड शिक्षा अधिकारी तथा सह समन्वयक प्रतिभाग करेंगे। इस संबंध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का यह दायित्व होगा कि अपने स्तर से समस्त विद्यालयों को बैठक के संबंध में निर्देश निर्गत करते हुए राज्य परियोजना कार्यालय, उ०प्र० लखनऊ को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
कृपया उपरोक्तानुसार अपने जनपद में व्यवस्था सुनिश्चित करें।

भवदीया,


(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
- 1- जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष, जिला शिक्षा परियोजना समिति, समस्त जनपद, उ०प्र०।
 - 2- राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, उ०प्र०।
 - 3- शिक्षा निदेशक, बेसिक, उ०प्र० लखनऊ।
 - 4- मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), समस्त मण्डल, उ०प्र०।
 - 5- गार्ड बुक।


आज्ञा से,
(उमेश कुमार तिवारी)
अनु सचिव।